न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

1– जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1030 सन 2026

(CNR No. UPFT–010026562026)

पिंकी पत्नी विजय कुमार निवासिनी ग्राम कुलखेड़ा (मकरन्दपुर) थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर।

.... आवेदिका/अभियुक्ता

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.... अभियोजक

अपराध संख्या: 84 सन 2026

धारा: 108 भारतीय न्याय संहिता

थाना: चांदपुर, जनपद फतेहपुर।

एवम्

2– जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1054 सन 2026

(CNR No. UPFT-010027222026)

1– विजय कुमार पुत्र प्रीतम प्रसाद निवासी ग्राम कुलखेड़ा पोस्ट मकरन्दपुर थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर।

2– छोटू उर्फ अर्पित पुत्र गोविन्द,

3– रिंकी देवी पत्नी सत्य प्रकाश,

निवासीगण ग्राम पाराचांद (निहरापारा) थाना सजेती जनपद कानपुर नगर।

.... आवेदक/अभियुक्तगण

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.... अभियोजक

अपराध संख्या: 84 सन 2026

धारा: 108 भारतीय न्याय संहिता

थाना: चांदपुर, जनपद फतेहपुर।

19.06.2026 :

आवेदक/अभियुक्तगण पिंकी, विजय कुमार, छोटू उर्फ अर्पित व रिंकी देवी की ओर से पृथक पृथक उक्त दोनों प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 84 सन 2026 धारा 108 भारतीय न्याय संहिता थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि उक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध की घटना एवं एक ही मुकदमा अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं, अतः न्याय एवं सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण संयुक्त रूप से एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से ब्रजेन्द्र द्वारा अलग अलग इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रमेश ने दिनांक 26.05.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि उसके पुत्र सत्यप्रकाश की शादी करीब दो वर्ष पूर्व रिंकी के साथ हिन्दू-रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद उसके पुत्र सत्य प्रकाश की पत्नी रिंकी, उसकी बहन पिंकी व बहनोई विजय, साला छोटू द्वारा पैसा लिया गया था, यह सभी लोग अक्सर पैसे की मांग करते थे, नहीं देने पर लड़ाई झगड़ा करते थे और दहेज प्रथा लगाने की धमकी देते थे। इन्हीं लोगों की प्रताड़ना के कारण उसके पुत्र ने अपने घर के अन्दर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उसके पुत्र सत्यप्रकाश ने रात्रि में अपनी पत्नी रिंकी व साढ़ू विजय, साली पिंकी एवं साले छोटू की प्रताड़ना के कारण दिनांक 26.05.2026 की रात्रि फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उसके पुत्र का शव उन्होंने नीचे उतारकर बरामदे में रख दिया है।

जमानत प्रार्थनापत्रों पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदिका/अभियुक्ता पिंकी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदिका निर्दोष है, उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। आवेदिका ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। कथित घटना के दिन आवेदिका अपने पति के साथ ग्राम पाराचांद अपने चाचा की लड़की की शादी में गयी थी और घटना के समय वहीं पर थी, सूचना पाकर कुलखेड़ा आयी थी। प्राथमिकी में स्वतंत्र साक्षियों का अभाव है। सत्यता यह है कि वादी का पुत्र शराबी व्यक्ति था और ई-रिक्शा पर लोन व होम लोन लिये था जिसकी किश्तों की अदायगी नहीं कर पा रहे थे एवं गांव व अन्य लोगों से रूपया उधार

लिया था जिसकी भरपाई नहीं कर पा रहा था और डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लिया और वादी ने आवेदिका को मात्र मृतक की जेठसर होने के कारण रंजिश मानकर प्राथमिकी दर्ज करायी है। आवेदिका महिला है और उसके दो ढाई वर्ष की पुत्री है जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदिका दिनांक 27.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदिका/अभियुक्ता जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

आवेदक/अभियुक्तगण विजय कुमार, छोटू उर्फ अर्पित व रिंकी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हें इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। आवेदकगण का कथित घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। आवेदकगण ने कथित कोई अपराध कारित नहीं किया है अपितु कथित घटना के दिन आवेदकगण अपने रिश्तेदारी में ग्राम पाराचांद अपने मायके व ससुराल चाचा की लड़की की शादी में गये थे और घटना के समय वहीं पर थे, सूचना पाकर कुलखेड़ा आये थे। प्राथमिकी में स्वतंत्र साक्षियों का अभाव है। सत्यता यह है कि वादी का पुत्र शराबी व्यक्ति था और ई–रिक्शा पर लोन व होम लोन लिये था जिसकी किश्तों की अदायगी नहीं कर पा रहे थे एवं गांव व अन्य लोगों से रूपया उधार लिया था जिसकी भरपाई नहीं कर पा रहा था और डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लिया और वादी ने आवेदकगण को मात्र मृतक का साढू, मृतक का साला व मृतक की पत्नी होने के कारण रंजिश मानकर प्राथमिकी दर्ज करायी है। आवेदकगण के दो ढाई वर्ष एवं 6–7 माह की पुत्रियां है जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है और जेल में साथ रहने से बीमार पड़ गयी है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदकगण दिनांक 27.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामजद है। मृतक सत्यप्रकाश की शादी आवेदिका/अभियुक्ता रिंकी के साथ होने के उपरान्त से, आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा मृतक से पैसा लिया गया तथा निरन्तर पैसों की मांग करते एवं न देने पर लड़ाई झगड़ा करते तथा दहेज प्रथा का मुकदमा लगाने की धमकी देते और निरन्तर प्रताडित करते थे तथा इसी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर मृतक ने आत्महत्या कर लिया। मृतक द्वारा आत्महत्या के पूर्व सुसाइड नोट लिखा गया जिसमें उसने आवेदक/अभियुक्तगण का उल्लेख करते हुए उन्हें उत्तरदायी होना उल्लिखित किया है तथा अब तक की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा आवेदक/ अभियुक्तगण की अभिकथित अपराध में संलिप्तता के बाबत पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने वादी के पुत्र सत्य प्रकाश को प्रताडित किया जिससे क्षुब्ध व दुष्प्रेरित होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी के पुत्र सत्यप्रकाश की शादी करीब दो वर्ष पूर्व रिंकी के साथ होने, शादी के बाद सत्य प्रकाश से रिंकी, उसकी बहन पिंकी व बहनोई विजय, साला छोटू द्वारा पैसा लेने व अक्सर पैसे की मांग करने तथा नहीं देने पर लड़ाई झगड़ा करने व दहेज प्रथा लगाने की धमकी देने तथा इन्हीं लोगों की प्रताड़ना के कारण दिनांक 26.05.2026 की रात्रि फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने का उल्लेख किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित है। अभियोजन प्रपत्रों/शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतक सत्य प्रकाश की शव विच्छेदन आख्या में उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोट दर्शायी गयी है–

> Ligature Mark of Size 24cm X 2.5cm is Obliquely Placed above the Thyroid cartilage with the gap of 11cm behind the Neck, around the ligature margin, below from right Ear 7cm, below from chin 6cm and below from left Ear 3cm. Base of ligature hand, leathery and parchment like.
> On dissection ligature mark was dry, whitish and glistening.

शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व फांसी पर लटकने से श्वास अवरोध (Asphyxia as a result of ante mortem Hanging) से होना दर्शित है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही के दौरान मृतक सत्य प्रकाश का सुसाइड नोट संकलित कर केस डायरी के साथ संलग्न किया गया है जिसमें मृतक सत्यप्रकाश ने आवेदक/अभियुक्तगण रिंकी, पिंकी, विजय व छोटू द्वारा मृतक का पैसा लेने, और पैसा मांगने तथा दहेज प्रथा का मुकदमा लगाने की धमकी देने, लिये गये रूपये वापस नहीं करने एवं मारने की आने आदि तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रताडित करने का उल्लेख किया है। अभियोजन पक्ष का कथन है कि आवेदिका/अभियुक्ता रिंकी देवी मृतक की पत्नी है, आवेदक/अभियुक्त छोटू उर्फ अर्पित मृतका का साला एवं आवेदक/अभियुक्तगण पिंकी व विजय कुमार मृतक के जेठसर व साढ़ू है और ऐसी स्थिति में उन्हें मिथ्या आरोपित करने का कोई कारण नहीं है तथा मृतक द्वारा स्वयं अपने सुसाइड नोट में आवेदक/अभियुक्तगण के प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करने का उल्लेख किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार वादी मुकदमा ने विवेचक को दिये गये बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, आवेदक/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण पिंकी, विजय कुमार, छोटू उर्फ अर्पित व रिंकी देवी की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाते है।

इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1054 सन 2026 विजय कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की पत्रावली पर रखी जाय।

दिनांकः 19.06.2026

(चेतना चौहान)
कृते सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।